"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 408] रायपुर, शनिवार, दिनांक 26 जुलाई 2014 — श्रावण 4, शक 1936

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2014

अधिसूचना

क्रमांक 6542/2219/21-ब/छ. ग./2014. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 सहपठित अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ उच्चत्तर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम 13 के उप-नियम (1) में, पूर्ण विराम चिन्ह "." के स्थान पर, कोलन चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जाये.

2. नियम 13 के उप-नियम (1) के परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"परंतु यह और कि सेवा के अधिकारी, जो साठ वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त हुआ है, को जिला न्यायाधीश संवर्ग में रिक्ति की दशा में, उच्च न्यायलय की अनुशंसा पर, बासठ वर्ष की आयु तक, ऐसे निबंधन एवं शर्तों पर, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से विनिश्चित की जाये, पुनर्नियोजित किया जा सकेगा."

No. 6542/2219/21-B/C. G./2014. — In exercise of the powers conferred by Article 233 read with the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, in consultation with the High Court of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Higher Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. In proviso to sub-rule (1) of rule 13, for the punctuation full stop ".", the punctuation colon ":" shall be substituted.

2. After proviso to sub-rule (1) of rule 13, the following shall be inserted, namely :-

"Provided further that an officer of the service, who has retired on superannuation at the age of sixty years, may be re-employed on the recommendation of the High Court up to the age of sixty two years in case of vacancy in the cadre of District Judge, on such terms and conditions as would be decided by the Government in consultation with the High Court."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.